रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एल.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 78] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 20, 1987/फाल्गुन 1, 1908
No. 78] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 20, 1987/PHALGUNA 1, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति विभाग)

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 1987

अधिसूचना

का. आ. 98 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अधीन दि सेन्ट्रल इण्डिया कमर्शियल एक्सचेंज लि., ग्वालियर द्वारा मान्यता के लिए किए गए आवेदन पर,

वायदा बाजार आयोग के परामर्श से विचार करके और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में और लोकहित में भी होगा, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एसोसिएशन को अग्रिम संविदाओं के बारे में 17 मार्च, 1989 को समाप्त दो और वर्षों के लिए मान्यता प्रदान करती है ।

2. एतद्द्वारा प्रदत्त मान्यता इस शर्त के अध्याधीन है कि उक्त एसोसिएशन ऐसे निदेशों का पालन करेगी को वायदा बाजार आयोग द्वारा समय-समय पर दिए जाएं ।

[मिसिल सं. 12/5/आई. टी. /86]

पी. एन. कौल, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Civil Supplies)

New Delhi, the 20th February, 1987

NOTIFICATION

S.O. 98(E).—The Central Government, having considered in consultation with the Forward Markets Commission, the application for renewal of recognition, made under Section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952), by the Central India Commercial Exchange Ltd., Gwalior and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the said Act, recognition to the said Exchance for a further period of 2 years ending the 17th March, 1989, in respect of forward contracts in gur.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Exchange shall comply with such directions as may, from time to time, be given by the Forward Markets Commission.

[File No. 12|5|IT|86]

P. N. KAUL, Economic Adviser

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987